पूर्व मध्य रेल

प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी

(PARTICIPATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT – PREM)

वर्ष 2022

प्रेम समूह की प्रथम बैठक

स्थान :

मुख्यालय सभाकक्ष, हाजीपुर

दिनांक : 28 अप्रैल 2022

समय : 12.30 बजे

चर्चा का विषय

- गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना।
- रेल सम्पत्ति का आगजनी से बचाव।

वर्तमान एजेंडा पर प्राप्त सुझाव/विचार

महासचिव ईसीआरकेयू

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु निम्न उपाय :–

- रेलवे स्टेशनों पर स्थित पार्सल घर/गोदाम आदि को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए।
- स्टोर डिपो में रखे सामानों के पास जलती बीड़ी/सिगरेट नहीं फेंकना चाहिए।
- कैरेज रिपेयर डिपो/कारखानों में गैस गोदामों तथा स्क्रैप यार्डों में ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए।
- डीजल, तेल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, रबर के सामान तथा पार्ट–पुर्जे पर अधिक सख्ती से ध्यान देने की जरुरत है।
- कोचों में लूज वायरिंग तथा फिटिंग्स एवं पैंट्री कार पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।
- कोचों के शौचालयों में पूरा पानी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही इनके पाइप लाईन, नल तथा स्टेशनों पर वाटर बूथ में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।
- स्टेशनों एवं चलती गाड़ियों में अधिकृत वेंडरों द्वारा मानक कंपनी का ही बोतल बंद पानी बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

2.रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- पैंट्रीकार में गैस स्टोव/विद्युत चूल्हा/ओवन साफ एवं ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए।
- पैंट्रीकार का गलियारा अवरोध रहित रखना सुनिश्चित हो ताकि आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने में असुविधा नहीं हो।
- यदि चलती ट्रेन के किसी कोच में आग लग गई हो तो सर्वप्रथम चेन खींचकर गाड़ी खड़ी कर उक्त कोच को अलग करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- विद्युत सॉकेट/मोबाइल चार्जिंग प्वांइट पर अतिरिक्त लोड देने से बचना चाहिए।
- असामान्य अवस्था में खिड़की का ग्लास तोड़ने हेतु कोचों में हैमर की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।
- जब गैस चूल्हा नहीं जल रहा हो तो गैस पाइपलाइन बन्द रखना चाहिए।
- अग्निशामक यंत्र आराम से उपलब्ध होने के स्थान पर रखना चाहिए।
- ट्रेन क्रू (गार्ड एवं ड्राइवर), टी टी ई, एसी स्टाफ, आर पी एफ/जी आर पी स्टाफ, पैंट्रीकार स्टाफ तथा ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ को अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए।
- आर आर आई के पैनल रुम में फॉल्स सीलिंग नहीं होना चाहिए।

महासचिव ईसीआरपीएओ

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु उपाय :–

➢ **ट्रैक में अधिकतर वेल्डेड रेलों का प्रयोग किया जाता है इसलिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाय।**

- पूलों के एप्रोच पर पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता।
- लेवल क्रासिंग के एप्रोच पर पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता।
- ऐसे स्थान जहां प्रायः गांव के लोग एवं पालतू पशु ट्रैक क्रॉस करते हैं वहां पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता एवं उसे रोकने की व्यवस्था।
- गोलाई में बाहर की साइड, ब्रिदिंग लेंथ एवं एस0इ00जे0 पर पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता।
- एल0डब्ल्यू0आर0 की डिस्ट्रेसिंग निश्चित तापमान पर अवश्य की जानी चाहिए विशेषकर जिस स्थान पर रेल चेंजिंग का कार्य जाड़े में किया गया हो।
- ट्रैक के जिस भाग में जाड़े में डिस्ट्रेसिंग की गयी वहां गर्मी शुरू हाने के पहले पुनः डिस्ट्रेसिंग किया जाय।
- जहां पहली बार रेल बदली की गयी हो वहां पर गर्मी शुरू होने के पहले डिस्ट्रेसिंग की जाय।
- जहां एस0इ0जे0 का गैप असाधारण रूप से घट या बढ़ रहा हो वहां भी डिस्ट्रेसिंग कराई जाय।
- जिस भाग में जाड़े में रेल फैक्चर ज्यादा हुए हों वहां पर भी डिस्ट्रेसिंग कराई जाय।
- जिस भाग मे डीप स्क्रीनिंग, स्लीपर चेंजिंग का कार्य लम्बे स्ट्रेच में किया गया हो वहां पर भी डिस्ट्रेसिंग कराई जाय।

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु निम्न उपाय :–

- शत्–प्रतिशत फिटिंग कंपलीट की जानी चाहिए।
- बड़े पूलों पर एक या दो रेल का पैनल लगाया जाता है इसलिए उनके जोडों पर गैप सुनिश्चित किया जाय।
- गर्मी की पेट्रोलिंग समय से शुरू की जाय तथा पेट्रोलमैन का मुवमेंट रेगुलर चेक किया जाय।
- दोपहर के समय में चलने वाली ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा फूट प्लेटिंग चेक किया जाय ।
- बिना स्पीड रिस्ट्रीक्सन लगाये डीप स्क्रीनिंग एवं ट्रैक रिनुअल का कार्य न किये जाए।
- किसी भी ज्वाइंट की फिश प्लेट ग्रीसिंग गर्मी में न की जाय।
- एल0डब्ल्यू0आर0 के किसी भी भाग में थ्रू पैकिंग करने से बचा जाय।
- किसी भी पैच में दोपहर में बालास्ट को खुला न छोड़ा जाय।
- गैप एवं प्री–डिस्ट्रेसिंग किये बिना बी0सी0एम0 मशीन से डीप स्क्रीनिंग न किया जाय।
- एल0डब्ल्यू0आर0 ट्रैक की डिस्ट्रेसिंग के लिए उचित तापमान पर ट्राफिक ब्लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

2.रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु उपाय :–

➢ **कोच में आग से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायः–**

- सभी एसी कोच, पावर कार, लोकोमोटिव और एसएलआर में वैद्य परीक्षण नियत तारीख में किया जाय साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- पैंट्री कार, एसी कोच, पावर कार के कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के संचालन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- ऑयल टैंक वैगनों और लोकोमाटिव के ईंधन के रिसाव का उचित जांच एवं परीक्षण तथा उससे निपटने के तरीकों को सुनिश्चित किया जाए।
- कोच वायरिंग में पोजिटिव और निगेटिव केबल को अलग–अलग करना सुनिश्चित करें।
- टीएल डिब्बों में फ्यूज वितरण बोर्ड की उचित सिलिंग सुनिश्चित करें ताकि बाहरी/विदेशी सामग्रियों (जैसे कि बीड़ी, सिगरेट और गुटखा कवर पेपर इत्यादि) के प्रवेश को रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
- किसी भी जीवित भाग और कोच बॉडी के बीच न्यूनतम गैप सुविधा और कोच वायरिंग में विपरीत ध्रुवों के हिस्सों के बीच न्यूनतम गैप सुनिश्चित किया जाए। बैट्री कनेक्शनों को ठीक से कसना और साफ करना सुनिश्चित की जाए। लाईट, पंखे और स्वीच बोर्ड से ढीले तार को हटा दिया जाए।

➢ **लोकोमोटिव में आग से रोकथाम हेतु उपायः –**

- ऑयल वाथ फिल्टर वाले लोकोमोटिव में ऑयल पैन से तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए।
- इंजन का ड्रेन होल साफ हो और कोई ऑयल/पानी का जमाव एक्सप्रेशर/कम्प्रेशर रूम और इंजन रूम में नहीं हो।

➢ **एसएलआर/वीपी में आग से रोकथाम के उपायः–**

- छत के इलेक्ट्रीक लैम्प और ब्रेक वैन (एसएलआर) के लगेज कम्पार्टमेंट में लोड किये गये पैकेजों की ऊपरी परत के बीच न्यूनतम निर्धारित गैप छोड़ा जाना चाहिए।
- सील करने से पहले एसएलआर/वीपी की सभी लाईटें बंद करना सुनिश्चित किया जाय।

➢ **पैंट्री कारों और पावर कारों में आग से रोकथाम हेतु उपायः–**

- चिमनी को कालिख से जाम होने और ओवर हीटिंग से बचाने के लिए पैंट्री कारों की चिमनी को नियमित रूप से सफाई किया जाना चाहिए।
- गैस सिलेंडरों को गैस कक्ष में ही रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विद्युत जंक्शन बॉक्स को कवर किया जाना चाहिए।
- कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैस पाईप एस्बेस्टस सामग्री से इनसुलेटेड किया गया है एवं सभी पावर कार में फायर डिटेक्टर कार्यरत है।

- **प्रतिष्ठानों में आग से रोकथाम के उपायः–**

- अस्थायी वायरिंग और कनेक्शन से बचा जाए।
- लगातार फ्यूज के ब्लोअप को रोकने या खत्म करने के लिए फ्यूज की क्षमता में वृद्धि न किया जाए।
- बिजली/करेंट के लिकेज से बचाव हेतु आरसीसीबी (रेसिड्यूबल करेंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स) का उपयोग किया जाए।
- सभी विद्युत उपकरणों के लिए 3 पिन प्लग का उपयोग किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए की अर्थिंग पिन, अर्थिंग के लिए निर्धारित कनेक्शन से जुड़ा हो।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि ज्वलनशील सामग्री को प्रमुख बिजली आपूर्ति उपकरणों (जैसे–ट्रांस्फर्मर, पावर पैनल, बैटरी चार्जर इत्यादि) से दूर रखा गया हो।

- **इंजीनियरिंग विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–**

- सभी ट्रैक मशीनों और कैंपिंग कोचों में वैध परीक्षण तारीख के साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- सभी कार्यशालाओं और डिपो में अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए जहां अस्थायी रूप से इंजन संग्रहित किया जाता है।
- प्रतिष्ठानों में आग की घटनाओं की रोकथाम के निर्देश सभी इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान जैसे कि पीडब्ल्यूआई डिपो, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों, टीएमसी कार्यशालाओं ,पीडब्ल्यूआई, आइओडब्ल्यू ऑफिस में अमल में लाए जायं।

➢ **सिगनल एवं दूर संचार विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–**

- बिजली आपूर्ति उपकरण कक्ष में अग्निशामक उपकरण (एफइ और फायर बकेट) रखे जाने चाहिए।
- प्रमुख स्थान पर अग्निशामक उपकरणों के साथ प्रतिष्ठानों के रिले कक्ष में आग का पता लगाने और अलार्म की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- आर0आर0आई0 एवं ई0आई0 इंस्ट्राकेशन में आग लगने के सभी कारणों के विरूद्ध आवश्यक कदम उठाये जायें।

➢ **वाणिज्य विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–**

- यात्री कोचों और एसएलआर में ज्वलनशील सामग्री जैसे कि–पटाखों , मिट्टी तेल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर आदि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- यात्री ट्रेनों में स्टोव ,सिगरी, फिल्म इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और ट्रेनों में सिगरी और स्टोव का उपयोग करने वाले अनाधिकृत फेरीवाले और विक्रेताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
- पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब रेल द्वारा परिवहन के लिए दो पहिया मोटरसाइकिल की पेशकश की जाती है, तो पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली हो।
- वाणिज्य पर्यवेक्षकों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की गुड्स शेड/वाणिज्य भूखंडों में ज्वलनशील सामग्री को ढ़ेर करते समय उचित सावधानी बरती जाए।
- पार्सल कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि पार्सल श्रमिक लोड/अनलोड करते समय धूम्रपान या बीड़ी, सिगरेट नहीं जलाएं।
- प्लेटफार्म पर चल रही खान–पान सेवा ट्रॉली को जलती गैस स्टोव और सिगरी के साथ नहीं चलने देना चाहिए।

➢ परिचालन विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- यातायात विभाग से संबंधित स्टेशन परिसर एवं अन्य स्टेशनों पर अग्निशामक यत्रों संबंधित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्टेशन कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अद्यतन टेलीफोन नंबर (लैंड लाइन/मोबाईल), रिकार्ड के साथ समय–समय पर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए तथा स्टेशन मास्टर कार्यालय के बाहर इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

➢ सुरक्षा विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- यात्री डिब्बों एवं एसएलआर में ज्वलनशील पदार्थ जैसे– पटाखे, मिट्टी का तेल पेट्रोल, गैस सिलिंडर इत्यादि की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- यात्री ट्रेनों में स्टोव, सिगरी, फिल्म इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ज्वलनशील सामग्री आवासीय परिसर से दूर रखी गई है।
- अन्य विभागों के आग लगने की संभावनाओं को रोकने के लिये उनसे सहयोग एवं तत्परता से कार्रवाई की जाय।

प्रमुसंधि

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु निम्न उपायः–

❖ संवेदनशील लोकेशन पर सतर्कता – मिस एलाइनमेंट या बकलिंग होने के कारण–

- LWR एवं CWR पथ में अनिश्चितता/अलगाव।
- स्वीकार्य प्रचलित तापमान से अधिक तापमान पर ट्रैक के रख–रखाव के उद्देश्य से रेल पटरी खोला जाना।
- तापमान td+10 डिग्री सेल्सीयस से अधिक तापमान पर पैकिंग तथा कुशन लगाने हेतु ट्रैक को उठाया जाना।
- SWR एवं LWR दोनों को अनियंत्रित रूप से सरकन (क्रीप) कराना।

❖ **ग्रीष्म ऋतु आने के पहले पूरा किये जाने वाले कार्य–**

- सरकन (क्रीप) का समायोजन एवं प्रतिरोध कार्य।
- गैप का सर्वेक्षण एवं समायोजन।
- SWR एवं CWR को ढ़ीला करना।

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु निम्न उपाय :–

- प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग तथा आपातकालीन क्रॉस ओवर के रख–रखाव को प्राथमिकता दी जाय।
- प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग क्षेत्र, विशेष कर ट्रेस पासिंग हेतु संभावित क्षेत्र एवं पुल की पहूंच/वक्रता पर जांच की जाय कि जहां बालास्ट की कमी हो वहां इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।
- खंडों की पहचान कर लंबित USFD निरीक्षण कार्य पूरा किया जाय ।
- जहां आवश्यक हो वहां ग्रीष्म ऋतु पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाय।
- ट्रैक मशीन कार्य को संपादित करने के लिए सभी अनिवार्य ग्रीष्म ऋतु सावधानियां बरती जाय।
- अन्य विभागों द्वारा ग्रीष्म ऋतु में संरक्षित कार्य हेतु अनिवार्य सावधानियां सुनिश्चित की जाय। जैसे :
 - OHE के ATD के वायर रोप के सहज गतिशीलता की जांच।
 - सभी संवेदनशील लोकेशन एवं इंस्टालेशन पर पर्याप्त संरक्षा सुनिशिचित की जाय।

➢ **गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन के संबंध में संरक्षा विभाग द्वारा एक माह का संरक्षा ड्राईव (दिनांक 15.03.2022 से 14.04.2022 तक) चलाया गया।**

2.रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- ज्वलनशील सामग्री जैसे पटाखे, कोयला, तेल, गैस इत्यादि को ट्रेन में ले जाने में रोकथाम हेतु आर.पी.एफ. पेट्रोलिंग, वाणिज्य विभाग एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा यात्रियों का निवारक जांच किया जाना चाहिए।
- आर.पी.एफ. एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत हॉकरों एवं वेंडरों की गहन जांच किया जाना चाहिए कि ट्रेन में स्टोव एवं सिगड़ी इत्यादि को न ले जा सके।
- आर.पी.एफ., वाणिज्य विभाग, गार्ड एवं स्टेशन कर्मचारियों द्वारा पार्सल वान/ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ यथा पटाखे, कोयला, तेल, गैस इत्यादि ले जाने एवं रोकने के लिए जांच की जानी चाहिए।
- स्टेबल डिब्बों/कोचिंग रेक का रात के समय विशेष जांच किया जाना चाहिए कि स्टेबल डिब्बों/रेक के सभी दरवाजे, खिड़कियां, वेस्टीब्युल्स सुरक्षित है।
- पैंट्री कारों में विद्युत उपकरण, बॉयलर, वायरिंग सिस्टम, जंक्शन बक्से इत्यादि को उचित रख–रखाव एवं अद्यतन स्थिति में रखा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- डिब्बों में ज्वाइंट्स/जंक्शन इत्यादि में देखा जाना चाहिए कि यह ओवर लोड कार्यप्रणाली, ओवर वोल्टेज बचाव यंत्र, मानक आकार के फ्युजेज, एम.सी.बी., उचित अर्थिंग, उचित वायरिंग उचित कुचालक इत्यादि सही है या नहीं।

2.रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- पैंट्री कार में पैंट्रीकार उपकरण, गैस सिस्टम, फलेक्सीवल पाईप एवं वाल्व की गड़बड़ी/कमियों की जांच की जानी चाहिए। पैंट्रीकार के केंद्रीकृत गैस इंस्टालेशन कनेक्शन से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप गैस सिलेंडर स्टोरेज कमरा अलग एवं बंद होना चाहिए।
- पैंट्री कारों एवं जेनरेटर कारों में आग बुझाने वाले संबंधित यंत्र पर्याप्त एवं उचित रख–रखाव वाले हों।
- दुरंतो, तेजस, राजधानी, शताब्दी इत्यादि ट्रेनों के जेनरेटर कार में आग से सुरक्षा व सावधानियों से संबंधित निवारक जांच की जानी चाहिए।
- रिले रूम, पैंट्रीकार, पावर कार एवं ट्रेन के दूसरे डिब्बों, डीजल फ्यूलिंग इंस्टॉलेशन एवं अन्य जीवंत संयंत्रों में अग्निशामक यंत्र एवं फायर वाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। अग्निशामक यंत्रों का उचित फिलींग, समय से रिफीलिंग एवं कर्मचारियों का अग्निशामक यंत्रों को चलाने हेतु प्रशिक्षण सुनिश्चित की जाय।

➢ **ट्रेन में आग लगने से बचाव के संबंध में संरक्षा विभाग द्वारा एक माह का संरक्षा ड्राईव (दिनांक 14.03.2022 से 13.04.2022 तक) मंडलों द्वारा चलाया गया ।**

प्रमुपरिप्र

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी के कारण एवं बचाव :–

कारण –

- यात्री द्वारा ज्वलनशील पदार्थ जैसे स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर या पटाखे इत्यादि ले जाना।
- कागज, पेट्रोल या इसी प्रकार के अन्य ज्वलनशील सामान के नजदीक लकड़ी या आग जलाना।
- धुम्रपान करना और जलती हुई माचिस की तीली, सिगरेट, बीड़ी के टुकड़े इत्यादि को लापरवाही से फेंकना या पंखा, स्विच बोर्ड में जलते टुकड़े घुसाना इत्यादि।
- पैंट्रीकार में गैस सिलिंडरों से रिसाव एवं ज्वलनशील पदार्थ जैसे समाचार पत्रों, खाद्य तेलों इत्यादि का लापरवाही से भंडारण करना।
- पैंट्रीकार कर्मचारियों द्वारा पैंट्री उपक्रमों का लापरवाही से उपयोग करना।
- तोड़–फोड़, उपद्रव इत्यादि

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी के कारण एवं बचाव :–

बचाव –

- यात्रियों को सावधान करने के लिए यात्री डब्बों एवं पैंट्रीकार में सतर्कता बरतने हेतु स्टीकर चिपकाया जाना एवं समय–समय पर निरीक्षण अभियान चलाया जाना।
- प्रत्येक गाड़ी के इंजन एवं ब्रेकवान में अग्निशामक यंत्र वैधता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्टेशनों के समपार फाटक एवं अन्य कार्य स्थलों पर अग्निशामक यंत्र वैधता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं सभी कर्मचारियों को इसके प्रयोग की जानकारी होना।
- अग्निशामक यंत्रों को आसानी से दिखाई देने एवं पहुंच वाले स्थान पर रखा जाना।
- शंटिंग के दौरान ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थ से लदे वैगनों का लूज शंटिंग से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना।
- यात्री गाड़ियों में कार्यरत कर्मचारी/रनिंग कर्मचारी को आग लगने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का विशेष रुप से प्रशिक्षण दिया जाना।

प्रमुयांइं

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना :–

- एल.एच.बी. कोचों में डस्टबीन के पास लगाए गए Exhaust Fan को डमी/आइसोलेट कर दिया गया है, कुल 1448 एल.एच.बी. कोचों में यह कार्य किया गया है।
- विधुत सुरक्षा/फ्यूज के बायपास/लूज कनेक्शन के लिए कुल 3277 कोचों की जांच की गई है। फ्यूज उड़ने की घटना के मामले को लगातार monitor किया जा रहा है एवं इसका समुचित रिकार्ड रखा जा रहा है।
- सभी कोचों में स्टेनलेस स्टील के कूड़ेदान लगाए गए हैं।
- 216 एस्कॉर्टिंग स्टाफ एवं 639 कोच अटेंडेंट को फायर एक्सटिंग्विशर के संचालन और अग्निशमन के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।

 मॉक ड्रिल नियमित अन्तराल पर आयोजित किया जा रहा है जिससे कि वास्तविक दुर्घटना की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों की सक्षमता सुनिश्चित की जा सके।
- सभी नवनिर्मित पावर कारों और एलएसएलआरडी के विधुत पैनलों में एरोसोल आधारित एफ.ई. लगाए गए हैं। फायर बॉल को पावर कारों और पैंट्री कारों के पैनल क्षेत्र में रखे गए हैं।
- ट्रेन परिचालन से संबंधित सभी कर्मचारियों को आग पर काबू हेतु उचित दिशा–निर्देश दिया गया है तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में आग पर काबू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- ट्रेन में आग लगने के किसी भी संकेत के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए ट्रेन के एस्कॉर्टिंग कर्मचारियों को नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है। उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। उनके नाम और संपर्क नं0 यात्री परिवहन के लिए डिब्बों में भी प्रदर्शित किया जा रहा है।
- सभी डिपो के भंडार में तथा बड़े संयंत्र को आग से बचाव हेतु उचित संख्या में अग्निशामक की व्यवस्था की गयी है।

प्रमुसिदूइं

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना :–

- ट्रैक रिले पिक–अप/वोल्टेज को सीमा के अंदर बनाये रखने के लिए ट्रैक सर्किट मानदंड का समंजन।
- इंसुलेटेड ज्वाइंट्स के दंड पोस्ट का क्रश होने से बचाने के लिए सरकन (क्रीप) को रोकना।
- जहां कहीं उपलब्धता हो वातानुकूलन उपस्करों का समुचित रूप में कार्य करना।
- वायु संचरण के लिए रिले रूम में उचित वेन्टिलेशन।
- रिले रूम को डस्ट (धुल) मुक्त रखने के लिए साफ–सफाई।
- कनेक्टर क्लिप की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए वायरिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण।

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- ट्रेन में आग लगने के किसी भी संकेत के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए ट्रेन के एस्कॉर्टिंग कर्मचारियों को नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है। उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। उनके नाम और संपर्क नं0 यात्री परिवहन के लिए डिब्बों में भी प्रदर्शित किया जा रहा है।
- सभी डिपो के भंडार में तथा बड़े संयंत्र को आग से बचाव हेतु उचित संख्या में अग्निशामक की व्यवस्था की गयी है।

प्रमुइं

1.गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना :–

- मशीन टैंपिंग सहित बढते तापमान के दौरान आपातकालीन प्रकृति को छोड़कर एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर का कोई रखरखाव कार्य नहीं किया जाएगा।
- गिट्टी के नुकसान को रोकने के लिए पैदल यात्री और मवेशी क्रॉसिंग पर बौनी दीवारें प्रदान की जा सकती है। गर्मी शुरु होने से पहले गिट्टी की पुनः पूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाए।
- किसी भी अनुरक्षण कार्य को शुरू करने से पहले पूर्ण गिट्टी खंड उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में गिट्टी एकत्र किया जाए।
- सामान्य रख–रखाव के तहत, किसी भी समय लगातार 30 से अधिक स्लीपर नहीं खोले जाने चाहिए।
- वास्तविक बकलिंग का पता चलने की स्थिति में डेटोनेटर लगाकर और बैनर फ्लैग प्रदर्शित कर यातायात को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।
- ट्रैक को स्लू करने या संरेखित करने या मौजूदा गिट्टी सेक्शन को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

प्रमुसाप्र

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव :–

- अग्निशामक यंत्र तथा वाटर पम्पींग सिस्टम जगह–जगह लागाया जाय साथ ही बालु से भरा बाल्टी यथोचित स्थानों पर लगाया जाय ताकि आपात स्थिति में उपयोग में लाया जा सके।
- स्मोक/फायर कर्टन एक तय एरिया में लगाया जाए जिससे लोकल फायर अलार्म पैनल या स्मोक डिटेक्टर से कनेक्ट कर, आग लगने पर अविलम्ब सूचना प्राप्त हो सके।
- फायर अलार्म सिस्टम फायर कंट्रोल रुम में लगाया जाए जिससे सूचना अविलंब प्राप्त हो सके।
- ट्रेन के आस पास कागज, लकड़ी, पेट्रोल या अन्य सामग्री को जलाने से रोका जाय।
- ज्वलनशील सामान जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल आदि यात्री डिब्बों में रखने एवं ट्रेन में धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी के उपयोग करने से रोकने हेतू आरपीएफ तथा टीसी द्वारा सधन जांच किया जाय।
- ट्रेन के पेंट्रीकार में गैस सिलिंडर को समय समय पर जांच किया जाय ताकि गैस रिसाव को रोका जा सके।
- ज्वलनशीन पदार्थों का ट्रेन में भंडारण करने से रोका जाय।
- पेंट्रीकार के कर्मचारियों द्वारा पेंट्री उपकरण का गलत संचालन/लापरवाही से उपयोग करने से रोका जाय।



धन्यवाद